



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3994]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2018/आश्विन 16, 1940

No. 3994]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2018/ASVINA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2018

का. आ. 5179(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण', पंजाब जोकि पंजाब सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) सरकार से प्राप्त अनुदान;
 - (ख) रियल एस्टेट (नियामक तथा विकास) अधिनियम, 2016 तथा पंजाब स्टेट रियल एस्टेट (नियामक तथा विकास) नियमावली, 2017 के तहत संग्रहित लेवी;
 - (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर कमाया गया व्याज;
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि 'रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण', पंजाब -
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए लागू समझी जाएगी तथा निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 65/2018, फा. सं. 300196/31/2018-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064